

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

20 / 2022
23.02.2022

राजाराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोंक राज०
-अपीलान्ट
बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला-टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार पीपलू दिनांक 01.12.2021 मिसल नम्बर 617 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री ललित कुमार जगवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर घर-बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 79/रु. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि पर आज तक कोई फसल काशत नहीं की है और ना ही कब्जा करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित



जिला कलेक्टर
टोंक



किया गया है, परन्तु निर्णय में अपीलान्ट को पूर्व में कब कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट्स ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है, किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर घर-बाड़ा का निर्माण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 30 दिन की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 515 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से मीनाक्षी की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है, किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर घर-बाड़ा का निर्माण कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर मेरा कब्जा काशत नहीं रहा है। मैंने उक्त वर्णित भूमि से पूर्व में ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान में मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है और ना ही भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा करूंगा और नहीं परिवार का कोई सदस्य कब्जा करेगा। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में घर-बाड़ा का उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 515 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी रिथिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 01.12.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,
टोक